

बिहार सरकार
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

पत्र सं०- वि.प्रा. (III) यो.- 9/ 2017-

/पटना, दिनांक

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं हक०), बिहार
वीरचन्द्र पटेल मार्ग, पटना

विषय- पूर्णिया, सहरसा एवं सुपौल जिला में नवस्वीकृत अभियंत्रण महाविद्यालयों में वर्ष 2017-18 से सत्रारंभ करने हेतु संस्थानों में आवश्यकता आधारित मशीनें, उपकरण, उपस्कर, कम्प्यूटर, जेनरेटर के क्रय हेतु कुल रू. 2,40,00,000=00 (दो करोड़ चालीस लाख रुपये) मात्र की स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2017-18 में उक्त राशि संबंधित मॅटर संस्थानों को विमुक्त करने के संबंध में।

आदेश- स्वीकृत।

राज्य सरकार ने पूर्णिया, सहरसा एवं सुपौल जिला में नवस्वीकृत अभियंत्रण महाविद्यालयों में वर्ष 2017-18 से सत्रारंभ करने हेतु संस्थानों में आवश्यकता आधारित मशीनें, उपकरण, उपस्कर, कम्प्यूटर, जेनरेटर के क्रय हेतु कुल रू. 2,40,00,000=00 (दो करोड़ चालीस लाख रुपये) मात्र की स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2017-18 में उक्त राशि संबंधित मॅटर संस्थानों को विमुक्त करने की स्वीकृति निम्नवत प्रदान की है-

क्रम	संस्थान का नाम	मशीनें एवं उपस्कर-कार्यालय	मशीनें एवं उपस्कर-अन्य	कुल
1.	अभियंत्रण महाविद्यालय, पूर्णिया	रू. 10,00,000=00	रू. 90,00,000=00	रू. 1,00,00,000=00
2.	अभियंत्रण महाविद्यालय, सहरसा	रू. 10,00,000=00	रू. 60,00,000=00	रू. 70,00,000=00
3.	अभियंत्रण महाविद्यालय, सुपौल	रू. 10,00,000=00	रू. 60,00,000=00	रू. 70,00,000=00
	कुल	रू. 30,00,000=00	रू. 2,10,00,000=00	रू. 2,40,00,000=00

2. उक्त स्वीकृत राशि, वित्तीय वर्ष 2017-18 में राज्य स्कीम बजट के "मुख्यशीर्ष-4202 -शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्यशीर्ष -02-तकनीकी शिक्षा, लघुशीर्ष-105 - इंजीनियरिंग/तकनीकी कॉलेज तथा संस्थान, मांग संख्या-43, उपशीर्ष-0106-अभियंत्रण महाविद्यालय (निश्चय)" के अधीन 52-मशीनरी एवं उपस्कर विस्तृत शीर्ष के 01 मशीनें एवं उपस्कर-कार्यालय तथा 02 मशीनें एवं उपस्कर-अन्य विषयशीर्षों में उपबंधित राशि से विकलित होगा जिसका विपत्र कोड 43-4202021050106 है।

3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित संस्थानों के प्राचार्य होंगे।

4. इस राशि की निकासी राजकीय कोषागार कटिहार, छपरा एवं दरभंगा से की जायेगी।

5. उक्त राशि से सामग्रियों के क्रय हेतु बिहार (वित्त) संशोधित नियमावली-2005 का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा तथा सभी प्रक्रियाओं का विधिवत पालन कर क्रय किया जायेगा।

6. उक्त स्वीकृत राशि से नियमानुसार क्रय की जाने वाली उपकरण एवं उपस्कर की गुणवत्ता के लिए संस्थान के प्राचार्य सीधे जिम्मेवार होंगे तथा क्रय की गई उपकरण एवं उपस्कर की सूची सहित उसके अधिष्ठापन संबंधी प्रतिवेदन वर्तमान वित्तीय वर्ष के अन्तर्गत उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

7. उक्त स्वीकृत राशि की निकासी, वित्तीय वर्ष 2017-18 में विभाग के लिए संसूचित योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध के अधीन निर्गत आवंटन तक सीमित रहेगा।

8. यह आदेश वित्त विभाग के संकल्प संख्या-3758/वि., दिनांक 31.05.2017 के आलोक में सक्षम स्वीकृति प्राधिकार के अनुमोदनोपरांत आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जाता है।

9. वित्त विभाग के पत्रांक- 7355 वि(2), दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इस योजना के लिए प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह. / -

(मिर्जा आरिफ रजा)

सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या- वि.प्रा. (III) यो.- 9/ 2017-

/पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./ -

सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या- वि.प्रा. (III) यो.- 9/ 2017-

/पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, कोषागार कटिहार, छपरा एवं दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./ -

सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या- वि.प्रा. (III) यो.- 9/ 2017-

/पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:- प्राचार्य, कटिहार अभियंत्रण महाविद्यालय, कटिहार सह अभियंत्रण महाविद्यालय, पूर्णिया/प्राचार्य, लोकनायक जयप्रकाश प्रौद्योगिकी संस्थान छपरा सह अभियंत्रण महाविद्यालय, सहरसा/प्राचार्य, अभियंत्रण महाविद्यालय दरभंगा सह अभियंत्रण महाविद्यालय, सुपौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./ -

सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या- वि.प्रा. (III) यो.- 9/ 2017-

1689

/पटना, दिनांक-

19.7.2017

प्रतिलिपि:- माननीय विभागीय मंत्री के आगत सचिव/उप निदेशक (यो)/ बजट सहायक/ आई.टी. मैनेजर (E-mail एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु), विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19.7.17

सरकार के उप सचिव

19/7/17